रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022023-243911
CG-DL-E-25022023-243911

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944
No. 107] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 131(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग में वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय,क्षेत्र संकार्य प्रभाग,वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव, भर्ती नियम,2023 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद/पदों की संख्या,उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वह होगा/वे होंगे,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं,आदि : उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ निजी सचिव	*1 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह'ख',राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु0)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना।	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति द्वारा</u> : क्षेत्र संकार्य प्रभाग में निजी सचिव, जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900रु.- 142400 रु.) में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, मे नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति के पश्चात, इस श्रेणी मे दो वर्ष सेवा की हो। **<u>टिप्पण</u>** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति</u>** : केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारित किए हुए हैं, ऐसे अधिकारी जो ; (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii)जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर 7 (44900-142400 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात निजी सचिव की श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. उप महानिदेशक/निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग,राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय - अध्यक्ष 2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय से उप सचिव/अवर सचिव -सदस्य 3. उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग,राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय – सदस्य 4. केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों से कम से कम अवर सचिव की स्थिति का एक अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी सचिव	*14 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900रु.-142400 रु.)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति द्वारा</u> : क्षेत्र संकार्य प्रभाग,राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी । जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी मे पाँच वर्ष सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **<u>प्रतिनियुक्ति द्वारा</u> :** केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक पद धारक ऐसे अधिकारी जिन्होने; (क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. उप महानिदेशक / निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय - अध्यक्ष 2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से उप सचिव / अवर सचिव - सदस्य 3. उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय –सदस्य 4. केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों से कम से कम अवर सचिव की स्थिति का एक अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 रु0 –112400 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आशुलिपिक श्रेणी में पाँच (5) वर्ष की सेवा की हो / किया हों । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग से ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए–11018/1/2019-जेसीएम]

नवीन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Sample Survey Office)

(FIELD OPERATIONS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February , 2023

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary and Private Secretary in the Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement** –

(a) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Senior Private Secretary and Private Secretary, Recruitment Rules, 2023.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.-: These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scale of pay.-** The number of post, their classification and pay level or pay scale attached thereto shall be specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc**.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Private Secretary	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Pay Level 8 (Rs.47600-Rs.151100) in Pay Matrix.	Selection Post

Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Promotion failing which by Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<u>By promotion</u>: Private Secretary in Field Operations Division, National Sample Survey Office in pay level 7 (Rs.44,900-Rs.1,42,400) in the Pay Matrix with two years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **<u>Note-1</u>:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years,	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):– 1. Deputy Director General / Director, Field Operations Division, National Sample Survey Office – Chairman; 2. Deputy Secretary / Under Secretary from the Ministry of Statistics and Programme Implementation – Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government; (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the Private Secretary grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 7 (Rs.44900 – Rs.142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	3. Deputy Director, Field Operations Division, National Sample Survey Office – Member; 4. An Officer of the status of at least Under Secretary from the other Central Government Offices – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private Secretary	14* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Pay Level 7 (Rs.44900 – Rs.142400) in the Pay Matrix.	Selection Post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Promotion failing which Deputation.

(11)	(12)	(13)
By promotion: Stenographers Grade I in Field Operations Division, National Sample Survey Office in pay level 6 in the Pay Matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)– 1. Deputy Director General/ Director, Field Operations Division, National Sample Survey Office – Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

<u>Note</u>: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **<u>By deputation</u>:** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years regular of service in the Stenographer grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department. **<u>Note-1</u>:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **<u>Note-2</u>:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Deputy Secretary / Under Secretary from the Ministry of Statistics & Programme Implementation – Member; 3. Deputy Director, Field Operations Division, National Sample Survey Office – Member; 4. An Officer of the status of at least Under Secretary from the other Central Government Offices – Member.	

[F. No. A-11018/1/2019-JCM]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA